प्रेस नोट–195 / 2026
दिनांक 08.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक

- **आगामी पर्वों एवं विभिन्न आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व तैयारी, आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं पुलिस प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दिए गए।**
- **सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित सुधार नही करने वाले 05 थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर व 02 क्षेत्राधिकारी यातायात के विरूद्ध प्रारम्भिक जाँच के आदेश।**
- **IGRS एवं जनशिकायत निस्तारण प्रणाली में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ अधिकारियों को स्वयं जनसुनवाई कर शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।**
- **मीडिया समन्वय को सुदृढ़ बनाने हेतु घटनाओं से संबंधित तथ्यात्मक, अद्यतन एवं प्रमाणिक जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।**
- **ZFD एवं C-RTC योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए यातायात प्रबंधन में सुधार, ई साक्ष्य-के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा 'यक्ष' एप के माध्यम से प्राप्त बीट सूचनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।**

(पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.)

आज दिनांक 08 अप्रैल 2026 को पुलिस मुख्यालय में **श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जनपद) के साथ ऑनलाइन माध्यम से उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य रूप से आगामी पर्वों की सुरक्षा व्यवस्था, आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण, ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) व C-RTC अभियान, यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग, ई-साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

1. आगामी कार्यक्रमों एवं कानून-व्यवस्था की तैयारी

- पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी जनपद आगामी पर्व, महापुरूषों की जयंती व आयोजनों के दृष्टिगत आयोजकों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाये तथा आवश्यक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया जाये।

2. ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) की समीक्षा एवं लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्यवाहीः-

- सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश के 07 पुलिस कमि0 एवं 68 जनपदों के 487 सर्वाधिक दुर्घटना बाहुल्य थानों में ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) योजना 01.01.2026 से लागू की गयी है जिसके काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है।
- चयनित किये गये 487 थानों में से 46 थाने ऐसे पाये गये जिनमें दुर्घटना की वृद्धि हुई है, तथा 05 थाने ऐसे पाये गये जिनमें दुर्घटनाओं में अत्याधिक वृद्धि हुई है, इन समस्त थानो के थाना प्रभारियों क्रमशः 1.थाना प्रभारी चोलापुर, कमि0 वाराणसी, श्री दीपक कुमार, 2.थाना प्रभारी कैम्पियरगंज, गोरखपुर, श्री जितेन्द्र सिंह, 3.थाना प्रभारी छिबरामऊ, कन्नौज, श्री विष्णुकान्त तिवारी, 4.थाना प्रभारी रामसनेही घाट, बाराबंकी, श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला, 5.थाना प्रभारी सिकरारा, जौनपुर, श्री उदय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिये गये है, साथ ही जनपद बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी यातायात श्री आलोक कुमार पाठक एवं जौनपुर के क्षेत्राधिकारी यातायात श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध प्रारम्भिक जाँच के आदेश दिये गये हैं।

3. IGRS एवं जन शिकायत निस्तारण

- थाने एवं चौकी स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षाकृत सुधार आया है किन्तु कुछ जनपदों में सुधार की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जनपदीय प्रभारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जन शिकायतों के निस्तारण की नियमित एवं गहन समीक्षा सुनिश्चित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये।

4. मीडिया समन्वय एवं संचार

पुलिस महानिदेशक द्वारा मीडिया के साथ प्रभावी समन्वय पर विशेष बल दिया गया—

- किसी भी घटना के सम्बंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तथ्यात्मक एवं अद्यतन जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
- अधिकृत अधिकारियों द्वारा समयबद्ध एवं तथ्यात्मक बाइट उपलब्ध कराई जाए, जिससे पुलिस की कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में परिलक्षित हो सके।
- घटना के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर भी सही तथ्यों को समय से अपडेट करते हुए सभी महत्वपूर्ण पोस्ट पर रिप्लाई किया जाये।

5. C-RTC (City-Reducing Traffic Congestion) Scheme के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्देश-

- यातायात निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लांच की गयी C-RTC (City-Reducing Traffic Congestion) Scheme के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पीक आवर्स में लगने वाले Travel time के आकड़ो को प्रदर्शित किया गया।
- उक्त योजना के अंतर्गत पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम को कम करने हेतु प्रभावी एवं लक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे यातायात में अपेक्षित सुधार किया जा सके।

6. ई-साक्ष्य की समीक्षा एवं प्रस्तुतिकरणः-

- ई-साक्ष्य के कार्यान्वयन की समीक्षा करके सभी विवेचकों को इसके प्रभावी उपयोग हेतु समुचित प्रशिक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- समीक्षा के दौरान श्री अमित कुमार आनन्द, डीसीपी साउथ कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा ई-साक्ष्य एप के विभिन्न चरणो और तकनीकी पहलुओ पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया।

7. 'यक्ष' एप एवं बीट सूचना तंत्र

- बीट स्तर पर तैनात समस्त पुलिसकर्मी 'यक्ष' एप का नियमित एवं प्रभावी उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण सूचनाओं का समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित करें।
- प्राप्त सूचनाओं की सतत निगरानी संबंधित क्षेत्राधिकारी (CO) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए।
- बीट सूचना पर उसकी संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के अनुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 'यक्ष' एप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर संभावित अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक निवारक कदम उठाए जाएं।

8. विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अनुरूप सामान्य विवेचनाओं में 60 एवं गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं का 90 दिवस में निस्तारण के लक्ष्य के अनुरूप विवेचनाओं की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल किए जाएं।
- इस संबंध में उच्चाधिकारी गण द्वारा नियमित अर्दली रूम/पर्यवेक्षण करते हुये विवेचनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

9. न्यायालय सुरक्षा

- जनपदों में स्थित समस्त न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए।
- प्रवेश द्वारों पर प्रभावी चेकिंग, सीसीटीवी की कार्यशीलता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ रखा जाए।

10. व्यापार मंडल से संवाद

- व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर कानून-व्यवस्था, बाजार सुरक्षा एवं साइबर ठगी आदि विषयों पर संवाद स्थापित किया जाए।
- व्यापारियों की शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

11. NDPS अधिनियम के तहत जब्त माल का विनिष्टीकरण

- विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से जब्त माल का विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए।

- विनिष्टीकरण की कार्यवाही पारदर्शी ढंग से, सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में एवं नियमानुसार की जाए।

अंत में, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-व्यवस्था बनाए रखते हुए जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध -अपने जनपदों में सुदृढ़ कानून निस्तारण को प्राथमिकता दें। साथ ही, आधुनिक तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देते हुए रिएक्टिव पुलिसिंग के स्थान पर प्रोएक्टिव पुलिसिंग की कार्यप्रणाली को अपनाये।

प्रेस नोट–196 / 2026
दिनांक 08.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अलीगढ़ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 08.04.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की कानपुर नगर इकाई** द्वारा श्री उदय प्रताप निवासी मोदनपुर थाना सैफई जनपद इटावा से शराब की कम्पोजिट दुकान को सुचारू रूप से चलाने देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कृष्ण मोहन राय के नेतृत्व में परिसर जिला आबकारी अधिकारी जनपद इटावा से **मुख्य आरक्षी आबकारी विभाग तहसीलदार सिंह (जनपद इटावा सेंटर-5 जसवंतनगर)** पुत्र शेर सिंह निवासी कागरोल थाना कागरोल आगरा को **07 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–197/2026
दिनांक 08.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हरदोई/थाना टडियावां

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये लगभग 50 लाख रूपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण**
- **लूटे गये 24 हजार रूपये 100 रूपये नगद**
- **08 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08.04.2026 को थाना टडियावां व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरिहरपुर रोड ग्राम सराह के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–प्रियांशु 2–प्रशांत 3–तुषार घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–सचिन सहित गिरफ्तार किया गया। 02 बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये लगभग 50 लाख रूपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण, लूटे गये 24 हजार रूपये 100 रूपये नगद, 08 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.04.2026 को थाना टडियावां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टडियावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त प्रियांशु के विरूद्ध जनपद खीरी, सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टडियावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रियांशु निवासी जमसगरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

2–प्रशांत निवासी मोहल्ला काजीटोला थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

3–तुषार निवासी बसईटोला थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

4–सचिन निवासी मोहल्ला काजीटोला थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लूटे गये लगभग 50 लाख रूपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण।

2–लूटे गये 24 हजार रूपये 100 रूपये नगद।

3–08 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना रबूपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.04.2026 को थाना रबूपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कार्गो टी प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजू उर्फ रूक्का उर्फ लुक्का घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रबूपुरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजू उर्फ रूक्का उर्फ लुक्का निवासी शेखपुर थाना चांदहट जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी की मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बांदा/थाना कालिंजर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 08.04.2026 को थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त खानू हुसैन ईरानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कालिंजर क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–खानू हुसैन ईरानी निवासी टिकरी टोला थाना बुरहार जनपद शहडोल, म0प्र0।

बरामदगी

1–लगभग 09 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण्ड़ां

जनपद रामपुर/थाना कोतवाली

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **506 ग्राम अवैध स्मैक पाउण्डर**
- **53 हजार 900 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.04.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्वार रोड मोरीगेट के पास से आम के बाग में बने ट्यूवेल से 04 अभियुक्तों 1—इमरान 2—शेर अफगन 3—मुन्ना 4—इफ्तेखार अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 506 ग्राम अवैध स्मैक पाउण्डर, 53 हजार 900 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी ग्राम बहैरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

2—शेर अफगन निवासी ग्राम फरीदपुर नौशाना थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

3—मुन्ना निवासी मोहल्ला मछली बाजार चाह चट्टा थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

4—इफ्तेखार अली निवासी मोहल्ला मछली बाजार चाह चट्टा थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—506 ग्राम अवैध स्मैक पाउण्डर।

2—53 हजार 900 रूपये नगद।

3—04 मोबाइल फोन।

4—01 मोटर साइकिल।

➢ **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307

भादवि सपठित धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहनिश को आजीवन कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 15–15 वर्ष कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना हसनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/506 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–राजू उर्फ राजकुमार 2–पप्पू को 15–15 वर्ष कठोर कारावास व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————